



उपभोक्ता 'जागरूक रहें'

सरकार के पास सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से वितरित करने के लिये पर्याप्त मात्रा में खाद्य भंडार हैं।

एक उपभोक्ता के रूप में, आप सार्वजनिक वितरण प्रणाली के द्वारा खाद्य पदार्थों की निम्नलिखित मात्रा प्राप्त करने के हकदार हैं:-

- अंत्योदय कार्ड धारक परिवार चावल 3.00 रु. प्रति कि.ग्रा. तथा गेहूँ 2.00 रु. प्रति कि.ग्रा. की दर पर 35 कि.ग्रा. गेहूँ/चावल प्रतिमाह लेने के हकदार हैं।
- गरीबी रेखा से नीचे के परिवार की पात्रता 35 कि.ग्रा. प्रतिमाह है। केन्द्र सरकार गेहूँ 4.15 रु. प्रति कि.ग्रा. एवं चावल 5.65 रु. प्रति कि.ग्रा. की दर से जारी करती है, जो राज्य सरकार/केन्द्रशासित सरकार द्वारा वितरण मूल्य जोड़ने के बाद बाँटा जाता है।
- गरीबी रेखा से ऊपर के परिवार भी प्रतिमाह न्यूनतम 10 कि.ग्रा. तक इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। केन्द्र सरकार गेहूँ 6.10 रु. प्रति कि.ग्रा. एवं चावल 8.30 रु. प्रति कि.ग्रा. की दर से जारी करती है, जो राज्य सरकार/केन्द्रशासित सरकार द्वारा वितरण मूल्य जोड़ने के बाद बाँटा जाता है।

**अपना हक माँगें।
जरूरत से ज्यादा जमा न करें।**



जनहित में जारी
उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय
भारत सरकार
कृषि भवन, नयी दिल्ली-110001, वेबसाईट: www.fcamin.nic.in

